कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

बाघ एवं अन्य वन्यजीव के अवैध शिकार में शामिल अंतर्राज्जीय गिरोह का मुख्य शिकारी आरोपी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(59 / 25, दिनांक 29.08.2025)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर इसकी क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी एवं वनमंडल श्योपुर के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर सवाई माधौपुर–श्योपुर–कराहल मार्ग पर घेराबंदी कर अलग–अलग स्थान से दिनांक 04.06.25 को 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 225 नग वन्यजीव के अवयव (हड्डिया) जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 18 दिनांक 04.06.25 एवं 237 / 19 दिनांक 04.06.25 दर्ज किया गया था।

माननीय विशेष न्यायालय शिवपुरी में गिरफ्तार आरोपियों को पेश कर फॉरेस्ट रिमांड लेकर गहन पूछताछ की गई। प्रकरण में नवीन वैज्ञानिक तकनीक की सहायता से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। एसटीएसएफ द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुये प्रकरण क्रमांक 237 / 18 दिनांक 04.06.25 में इस गिरोह के 03 अन्य सदस्यों को शिवपुरी एवं श्योपुर जिले से गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक कुल गिरफ्तार आरोपियों को विवरण इस प्रकार है।

1. आरोपी दौजी भील पिता शंकर भील दौसा राजस्थान
2. आरोपी सुनीता भील पत्नी दौजी (महिला) दौसा राजस्थान
3. आरोपी बनीराम मोंगिया पिता सौजी मोंगिया नरवर शिवपुरी
4. आरोपी नरेश उर्फ कल्लू पिता हरज्ञान मोंगिया कोलारस शिवपुरी
5. आरोपी राजाराम मोंगिया निवासी जिला टोक, राजस्थान
6. आरोपी सौजीराम मोंगिया पिता जमुना मोंगिया निवासी नरवर जिला शिवपुरी
7. आरोपी बृजमोहन मोंगिया पिता नन्दकिशोर निवासी पोहरी जिला शिवपुरी

प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुये दिनांक 29.08.2025 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार ग्राम खरई खैरोना बस स्टेण्ड शिवपुरी से स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स शिवपुरी व वनमंडल शिवपुरी के संयुक्त दल द्वारा प्रकरण में शामिल मुख्य शिकारी 7 वा आरोपी बृजमोहन मोंगिया पिता नन्दकिशोर निवासी पोहरी जिला शिवपुरी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय शिवपुरी के समक्ष पेश किया जाकर फॉरेस्ट रिमांड पर लेकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी

कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)

(कक्ष– एसटीएसएफ)

मध्यप्रदेश, भोपाल